न्यायालय-श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

96
172
497

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

R - 4003 - II/12

3274
8-11-12
8-11-12

1. मोले सिंह उम्र 50वर्ष पिता श्याम लाल सिंह गोड
2. प्रेम सिंह गोड उम्र 60वर्ष पिता धन सिंह गोड
दोनो निवासी ग्राम मझगवा तहसील सोहागपुर,
जिला शाहडोल म0प्र0 .. ------पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. भोल्ली सिंह गोड उम्र 60वर्ष पिता सहोली गोड
2. रमोतिया रखेल होल्कर सिंह गोड
3. श्याम सिंह गोड पिता धन सिंह गोड
4. छोटे सिंह गोड पिता धन सिंह गोड
सभी निवासी ग्राम मझगवां तहसील सोहागपुर,
जिला शाहडोल म0प्र0 .. ---गैरपुनरीक्षणकर्तागण

कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
30 OCT 2012
शाखा अधीक्षक कलेक्टर

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील सोहागपुर जिला शाहडोल द्वारा शीर्षक भोल्ला विरुद्ध मोतिया वगैरह प्रकरण क्रमांक 55/316/11-12 में पारित आदेश दिनांक 17.8.12 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर विनय करते है :-

मामले के तथ्य

गैर पुनरीक्षणकर्ता भोल्ली ने माननीय विचारण न्यायालय में कथित वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि स्थित ग्राम मझगवां के 1/4 भाग का नामांतरण अपने पक्ष में कराने हेतु अन्तर्गत धारा 109, 110 म0प्र0भू राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत कररखा है । उक्त

प्रेमसिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –निग.-4003-दो/2012 जिला- शहडोल

मोले सिंह व अन्य विरूद्ध भोल्ली सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामनरेश मिश्रा उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार तहसील सोहागपुर जिला-शहडोल के प्रकरण क्रमांक 55/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17-08-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-11-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवर्त्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

23/01/19

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 23/01/19
सदस्य